कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☏ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– २१०० /रेनुकूट /15–7 दिनांक, रेनुकूट, २१-०२— ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग मे 98.28 हे0 आरक्षित वन भूमि , ओबरा वन प्रभाग मे 113.048 हे0 आरक्षित वन भूमि, सोनभद्र वन प्रभाग मे 15.79 हे0 आरक्षित वन भूमि, मीरजापुर वन प्रभाग मे 37.51 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग मे 54.652 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात कुल प्रभावित 319.28 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के संबंध में ।

(ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/32650/2018)

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–962/11–सी FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक–12.09.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण मे संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे ।मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा समेकित प्रस्ताव में रेनुकूट वन प्रभाग से संबंधित अभिलेखो मे निम्नानुसार कमियॉ इंगित करते हुए उसके निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशो के अनुपालन मे अनुपालन आख्या निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–962/11–सी FP/UP/TRANS/32650/2018 दिनांक– 12.09.2022 मे अंकित विवरण	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन उपयुक्तता प्रमाण–पत्र एवं के0एम0एल0 फाइल संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण मे संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन , वन अनुभाग–2 के आदेश संख्या–जी0आई0 444/14–2–93–707/89 लखनऊ दिनांक– 08/23.02.1994 मे अंकित शर्त संख्या–8 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 319.28 हे0 भूमि डेरापुर तहसील अन्तर्गत सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानुपर मे ग्राम सभा की भूमि लैण्ड बैंक के अन्तर्गत वन विभाग को प्राप्त हो चुकी है । नवीनीकरण प्रस्ताव के संबंध मे भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के संबंध मे जो भी शर्ते अधिरोपित की

		जायेगी उसे अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो नवीनीकरण प्रस्ताव मे संलग्न है । वचनबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाइन भाग–2 मे यथास्थान अपलोड कराया गया है ।
2	पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत पारेषण लाइन वर्ष 1994 मे निर्मित है एवं पारेषण लाइन के नीचे पौधो का वृक्षारोपण पहले से ही किया जा चुका है जिसमे पुनः वृक्षारोपण करने की आवश्यकता नही है । इस संबंध मे प्रमाण पत्र नवीनीकरण प्रस्ताव मे संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग–2 मे यथास्थान अपलोड करा दिया गया है ।
3	प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर पूर्व की दरों के अनुसार है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 में पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग–2 में पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलिट कर संशोधित अपलोड करा दिया गया है ।
4	प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना में दर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा पुरानी गणना ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Details से डिलिट कर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किल विद्युत परेषण लाईन के निर्माण हेतु 319.28 हे0 वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या–08–197/91–एफ0सी0, दिनांक–01.11.1993 द्वारा गैरवानिकी कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को हस्तान्तरित किया गया था, जिसमें कोई समय सीमा वर्णित नहीं है। भारत सरकार के उक्त पत्र के कम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई0 444/14–2 –93– 707/89 दिनांक– 08/23 फरवरी 1994 में उपरोक्त विषयक परियोजना 20 वर्षो के लिए लीज पर हस्तान्तरित किये जाने का उल्लेख किया गया है। संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या 03 में निम्नानुसार उल्लिखित है :– "उक्त भूमि उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी।" तत्कम में वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात तत्काल प्रभाव से नवीनीकरण प्रस्ताव

प्राप्त करते हुए ओवरा वन प्रभाग के कार्यालय द्वारा उक्त वन भूमि के लीज नवीनीकरण का समेकित प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया। लीज नवीनीकरण प्रक्रिया जटिल होने तथा समय–समय पर जारी गाईडलाईन संज्ञानित न होने के कारण लीज नवीनीकरण प्रक्रिया में समय लग रहा है। इसलिए उक्त परियोजना के लीज नवीनीकरण प्रक्रिया में प्रकियात्मक विलम्ब हुआ ।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि "वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात भी इस कार्यालय द्वारा उक्त भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उक्त भूमि का उपयोग किये जाने को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है जबकि भारत सरकार की उल्लंघन से सम्बन्धित गाईड लाईन दिनांक–29.01.2018 नये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न की पूर्व मे दिये गये अनुमति से क्योकि उक्त परियोजना उक्त वन भूमि पर वर्ष 1994 से बनी है, जिसे वर्ष 2014 में लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त वन भूमि से हटाया नहीं जा सकता है। उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उक्त वन भूमि के उपयोग की आवश्यकता अभी भी है, जिस कारण उक्त वन भूमि को उ0प्र0 सरकार से पुनः लीज पर लेने तथा पट्टा कराने हेतु लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को सम्बन्धित वन प्रभाग में वर्ष 2014 में जमा कर दिया गया था। लीज समाप्ति वर्ष 2014 के पश्चात उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने के फलस्वरूप (वर्ष 2014 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल दर से) सम्बन्धित वन प्रभागों से मांग पत्र के अनुसार लीज रेन्ट भी ससमय जमा किया जाता रहा है"।

उपरोक्त वर्णित तथ्यो से स्पष्ट है कि उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नहीं किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत परियोजना के लीज समाप्ति होने के उपरान्त वन भूमि के उपयोग को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन न मानते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाया जाना न्यायोचित होगा।"

अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या–08–197/91–एफ0सी0, दिनांक–01.11.1993 द्वारा तत्समय में जारी अनुमति में समय–सीमा नहीं थी तथा उ0प्र0 शासन द्वारा

			निर्धारित लीज अवधि के समाप्ति वर्ष 2014 के पश्चात भी प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने के फलस्वरूप (वर्ष 2014 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल दर से) मांग पत्र के अनुसार लीज रेन्ट का भुगतान किया जा रहा है। ऐसी दशा में लीज अवधि के उपरान्त भी प्रस्तावक विभाग द्वारा भूमि का उपयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
5	प्रभागीय वनाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हार्डकॉपी भाग–2 (हिंदी वर्जन) के क्रमांक 6 तथा ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक 12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हार्डकॉपी भाग–2 तथा ऑनलाइन भाग–2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकॉपी भाग–2 डिलिट कर अपलोड करें।		इस बिन्दु के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट व भाग–2 की हार्ड कापी प्रस्ताव मे संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग–2 मे यथास्थान अपलोड करा दिया गया है ।
6	दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गयी है।		इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि उक्त बिन्दु संख्या– 4 मे दिये गये उत्तर के क्रम मे वचनबद्धता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– 2900 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र ।

2–अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, विद्युत प्रेषण खण्ड, गाजीपुर, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तलवल हाइडिल कालोनी, गाजीपुर को उनके पत्र संख्या– 336 दिनांक– 27.02.2023 के क्रम मे ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट